उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
कार्यालय प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक,(खनन)

वन परिसर, चन्द्रबनी रोड़, देहरादून। फोन–0135–2743428 Email-dlmkhanand.dun@gmail.com

पत्रांक 692 / सौंग एवं जाखन दिनांक 07 / 11 / 2020

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषय :- ***Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Uttarakhand Forest Development corporation, Dehradun for renwwal of collection of Minor NMinerals from 628.80 Ha forest land of Song River 1,2,3 and Jakhan 1,2 for 10 years under Dehradun Forest division, Uttarakhand regarding (Online proposal no FP/UK/MIN/38285/2019***

सन्दर्भः- ***पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Forest Conservation Division) भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक File No. 8-62/1999 FC(VOL) date 9th September, 20***20

महोदय,

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, देहरादून द्वारा उपखनिज चुगान हेतु प्रस्तावित देहरादून वन प्रभाग की सौंग–1, सौंग–2, सौंग–3, जाखन–1 व जाखन–2 नदियों की पूर्व में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय के पत्रांक F. No. 8-62/99-FC दिनांक 26.5.2009 द्वारा स्वीकृत एफ0सी0 के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव संख्या– FP/UK/MIN/38285/2019 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यालय के पत्रांक File No. 8-62/1999 FC(VOL) date 9th September, 2020 }द्वारा लगाये गये आपत्तियों के क्रम में आपके कार्यालय के पत्रांक 1362/12 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर 2020 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित आख्या के क्रम में पुनः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Forest Conservation Division) भारत सरकार, द्वारा लौटाये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों के चयन को लेकर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लगाये गये निम्न आपत्तियों के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित करने की कृपा करें:–

आपत्ति संख्या 01:– The total calculated CA area from the KML files is found 1095.64 ha whereas the actual CA area proposed is 1325.00 ha.

प्रत्युत्तर:– उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F. No. 8-62/99-FC दिनांक 26.5.2009 को जिनकी एफ0सी0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम को दस वर्ष हेतु प्राप्त हुयी थीं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

सारणी–01

क्र0सं0	नदी का नाम	क्षेत्रफल
01	गुलाटा नदी	30.00 है0
02	दरेड़ नदी	20.00 है0
03	सौंग नदी प्रथम	225.00 है0
04	सौंग नदी द्वितीय	273.00 है0
05	सौंग नदी तृतीय	270.00 है0
06	जाखन नदी प्रथम	195.00 है0
07	जाखन नदी द्वितीय	100.00 है0
08	चन्द्रभाग नदी प्रथम	168.00 है0
09	चन्द्रभाग नदी द्वितीय	29.00 है0
10	लक्कड़ घाट नदी ऋषिकेश	15.00 है0
कुल		1325.00 है0

उक्त एफ0सी0 के क्रम में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त ई0सी0 एवं एन0बी0डब्ल्यू0एल0 क्लीयरेन्स प्राप्त होने के बाद निम्न नदियों में ही उपखनिज निकासी कार्य किया गया:–

सारणी–02

क्र0सं0	नदी का नाम	क्षेत्रफल
01	सौंग नदी प्रथम	225.00 है0
02	सौंग नदी द्वितीय	273.00 है0
03	सौंग नदी तृतीय	270.00 है0
04	जाखन नदी प्रथम	195.00 है0
05	जाखन नदी द्वितीय	100.00 है0
कुल		1063.00 है0

उक्त 1063.00 है0 उपखनिज चुगान क्षेत्र के सापेक्ष आपके प्रभाग द्वारा कुल 1113.00 है0 क्षेत्र में पूर्व में ही क्षतिपूरक वनीकरण किया गया है। सारणी 01 के क्रम संख्या 01, 02,08,09 तथा 10 पर अंकित नदियों के ई0सी0 प्राप्त न हो पाने के कारण इन नदियों में उपखनिज चुगान कार्य नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में उपरोक्त 1063.00 है0 क्षेत्र के विरूद्ध मात्र 628.80 है0 क्षेत्र का उपखनिज चुगान हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसके सापेक्ष कोई क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य न तो किया जाना है और न ही प्रस्तावित है।

आपत्ति संख्या 02:–Out of total area proposed for CA, 71 ha of land is classified as Very Dense Forest (VDF) and about 298 ha of land is classified as Moderately Dense Forest (MDF), which need to be changed.

प्रत्युत्तरः– उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी के0एम0एल0 फाईल में उपलब्ध क्षेत्र, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित नही है बल्कि सारणी संख्या–02 में उल्लेखित 1063.00 है0 उपखनिज चुगान लौट जिसकी एफ0सी0 25 मई 2019 को कालातीत हो गये है, के सापेक्ष देहरादून वन प्रभाग द्वारा कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र है।

वर्तमान समय में प्रस्तावित लौट सौंग–1, 2, 3, जाखन–1 व 2 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F. No. 8-62/99-FC दिनांक 26.5.2009 द्वारा स्वीकृत उपखनिज चुगान लौटों के आगामी 10 वर्ष के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव है, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम – 1980 एवं वन संरक्षण नियम 2003 (दिशा–निर्देश एवं स्पष्टता) के खण्ड तीन के बिन्दु संख्या –(Viii) के उपबिन्दु (d) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार पुनः क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने की आवश्यकता नही है।

जहां तक वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित आपत्ति संख्या–02 में उल्लेखित 71.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्षेत्र VDF तथा 298.00 है क्षेत्र MDF में दिखने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि देहरादून वन प्रभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये सूची अनुसार सारणी संख्या–02 में उल्लेखित उपखनिज चुगान लौटों के सापेक्ष निम्नानुसार विगत वर्षो में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है।

सारणी–03

क्र0सं0	वर्ष	सौंग–1, सौंग–2, सौंग–3, जाखन–1 व जाखन–2 नदियों के सापेक्ष किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल
01	2015–16	52 है0
02	2016–17	150 है0
03	2017–18	300 है0
04	2018–19	311 है0
05	2019–20	300 है0
कुल योग		**1113 है0**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16, 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 तक कराये गये 502.00 है0 वृक्षारोपण क्षेत्र जो 05 से 03 साल पुराना वृक्षारोपण है, का घनत्व निश्चित रूप से MDF अथवा VDF में परिवर्तित होना स्वभाविक है, जो वर्तमान समय में DSS में परिलक्षित हो रहा होगा। इस तथ्य की पुष्टि आपके कार्यालय के पत्रांक 1362/12 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर 2020 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित आख्या में भी निम्न प्रकार किया गया है– **क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र अत्यधिक/कम घनत्व होने के सम्बन्ध में संज्ञानार्थ है कि सम्बन्धित क्षेत्रों में पूर्व में ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है, जिसके कारण हीं DSS Analysis में अभिकथित क्षेत्र अत्यधिक/कम घनत्व का प्रतीत होता हो रहा होगा।**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शेर सिंह)

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन, देहरादून।

प्रतिलिपिः–1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शेर सिंह)

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन, देहरादून।